न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 31/2019

भंवरी पुत्री नोरंगा जाति जाट निवासी ग्राम बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. पटवारी हल्का, बलोद छोटी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता
श्री महीपाल मूंड – वादी

निर्णय

दिनांकः–17.05.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 444 रकबा 0.1100है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 3.3000है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 448 रकबा 1.5000है0 कुल किता 5 रकबा 4.9800है0 वाके ग्राम बलोद छोटी में अवस्थित है।

वादीया के पिता नोरंगा की मृत्यु हो जाने पर उक्त कृषि भूमियों के नामान्तरकरण के वक्त राजस्व अधिनस्थ कर्मचारियों की अनदेखी अथवा सहवन से खातेदारी में वादीया का नाम चुकी अंकित हो गया जबकि वादीया का वास्तविक नाम भंवरी है इसिलये वादीया अपना नाम चुकी की जगह भंवरी दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

उक्त कृषि भूमियों में वादीया की माता मोहरी देवी की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर विरास्तन नामान्तरण के वक्त वादिया का वास्तविक नाम भंवरी अंकित किया गया है इसलिये भी वादीया का उक्त खातेदारी में नाम चुकी की जगह भंवरी अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

वादीया के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी दस्तावेजों में वादीया का नाम भंवरी है इसलिये वादीया का नाम उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में चुकी की जगह भंवरी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

वादीया ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा कहा कि उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम दुरूस्त कर भंवरी अंकित किया जावे तो प्रतिवादीगण पहले तो आश्वासन देते रहे लेकि आज से करीब पांच रोज पूर्व स्पष्ट रूप से मना करने पर यह वाद लाना पड़ा यही वाद कारण है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादीया की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया एवं वकील वादीया की बहस पर मनन किया। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा सरपंच ग्राम पंचायत बलोद छोटी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम भंवरी अंकित है। वाद वादीया डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीया डिकी किया जाकर कृषि भूमियां खसरा नम्बर 444 रकबा 0.1100है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 3.3000है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 448 रकबा 1.5000है0 कुल किता 5 रकबा 4.9800है0 वाके ग्राम बलोद छोटी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार चुकी पुत्री नोरंगा की जगह भंवरी पुत्री नोरंगा दुरूस्त किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)